भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 302

दिनांक 19.11.2019/28 कार्तिक,1941 (शक) को उत्तर के लिए

आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री

† 302. श्री नलीन कुमार कटीलः

श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) **क्या सरकार को अश्लील साहित्य, बाल यौन शोषण और अन्य यौन प्रधान सामग्रियों आदि से संबंधित आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को लेकर नागरिकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;**

(ख) **यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;**

(ग) **क्या सरकार इन आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्रियों को रोकने हेतु कड़े कदम उठा रही है; और**

(घ) **यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी सामग्री को अपलोड करने वाले अपराधियों/दोषियों के** विरुद्ध **क्या कदम उठाए गए हैं?**

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत के संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विधि प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, उनकी जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराध से संबंधित अपराधियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्रवाई करती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने अथवा प्रसारित करने और कामुकता दर्शाने वाले कृत्य से संबंधित सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने अथवा प्रसारित करने (आईटी अधिनियम की धारा 67 और

67क), कामुकता दर्शाने वाले कृत्य में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने अथवा प्रसारित करने (आईटी अधिनियम की धारा 67ख) और पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों के उपयोग/बाल पोर्नोग्राफी सामग्री रखने (पीओसीएसओ की धारा 14 एवं 15) के संबंध में वर्ष 2015-2017 के दौरान आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः **अनुलग्नक I, II और III** में दिया गया है।

(ग) और (घ): केंद्रीय सरकार ने ऐसे अपराधों की रोकथाम करने तथा जांच में तेजी लाने के लिए साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अलर्ट/एडवाइजरी जारी करने, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाने आदि के लिए उपाय किए हैं। सरकार ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की सूचना देने में नागरिकों को समर्थ बनाने हेतु ऑनलाइन राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in भी शुरू किया है।

इसके अलावा, साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें गृह मंत्रालय के ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त के माध्यम से साइबर अपराध के संबंध में संदेश प्रसारित करना, रेडियो कैंपेन, किशोरों/छात्रों के लिए पुस्तिका का प्रकाशन, सरकारी अधिकारियों के लाभ के लिए 'सूचना सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं' का प्रकाशन, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस विभाग के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन आदि शामिल हैं।

******

अनुलग्नक-I

वर्ष 2015-2016 के दौरान साइबर अपराध (धारा 67 एवं 67क) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीआर: सूचित मामले, सीसीएस: आरोपपत्रित मामले, सीओएन: दोषसिद्ध मामले, पीएआर: गिरफ्तार व्यक्ति, पीसीएस: आरोपपत्रित व्यक्ति एवं पीसीवी: दोषसिद्ध व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015						2016					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	3	4	0	7	5	0	7	1	0	4	2	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	4	0	0	4	0	0	114	9	0	119	9	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	9	7	0	8	7	0
5	छतीसगढ़	27	17	0	25	23	0	17	13	1	18	17	1
6	गोवा	1	0	0	0	0	0	1	4	0	7	7	0
7	गुजरात	7	5	0	5	6	0	14	10	0	12	12	0
8	हरियाणा	36	18	0	39	35	0	29	12	0	17	13	0
9	हिमाचल प्रदेश	5	2	0	1	2	0	4	3	0	3	3	0
10	जम्मू और कश्मीर	3	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	55	26	0	32	42	0	70	13	0	21	19	0
13	केरल	41	25	2	24	35	2	42	28	0	52	30	0
14	मध्य प्रदेश	39	20	0	31	27	0	36	22	2	30	32	2
15	महाराष्ट्र	42	8	0	20	13	0	83	28	0	46	30	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	6	2	0	3	2	0	7	6	0	6	6	0
21	पंजाब	40	11	1	50	24	1	26	17	1	47	21	2
22	राजस्थान	53	22	1	42	32	1	43	11	0	16	16	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	24	13	2	19	16	2	27	16	1	29	20	1
25	तेलंगाना	68	4	0	31	7	0	20	7	0	8	4	0
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
27	उत्तर प्रदेश	271	126	7	182	203	13	277	162	4	284	192	5
28	उत्तराखंड	9	5	0	5	6	0	14	7	0	11	8	0
29	पश्चिम बंगाल	36	14	0	17	14	0	64	16	0	62	16	0
	कुल (राज्य)	773	324	13	540	494	19	908	393	9	801	465	11
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	4	1	0	2	2	0	4	2	0	4	2	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	15	4	0	3	4	0	15	4	0	4	4	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	19	5	0	5	6	0	22	7	0	9	7	0
	कुल (अखिल भारत)	792	329	13	545	500	19	930	400	9	810	472	11

स्रोत: भारत में अपराध

लो.स.अता.प्र.सं.302

अनुलग्नक-I

वर्ष 2017 के दौरान साइबर अपराध (धारा 67 एवं 67क) के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीआर: सूचित मामले, सीसीएस: आरोपपत्रित मामले, सीओएन: दोषसिद्ध मामले, पीएआर: गिरफ्तार व्यक्ति, पीसीएस: आरोपपत्रित व्यक्ति एवं पीसीवी: दोषसिद्ध व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/कामुकता दर्शाने वाले कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण (धारा 67)						इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुकता दर्शाने वाले कृत्य से संबंधित सामग्री का प्रकाशन अथवा प्रसारण					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	3	1	0	2	2	0	1	1	0	5	6	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	63	8	0	76	35	0	92	18	0	113	91	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	4	2	0	5	2	0
5	छत्तीसगढ़	3	2	0	2	2	0	13	5	0	11	11	0
6	गोवा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	26	14	0	20	21	0	5	6	0	5	6	0
8	हरियाणा	38	11	0	23	15	0	17	8	0	15	13	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	1	1	0	6	2	0	4	2	0
10	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
11	झारखंड	7	4	0	5	4	0	1	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	90	7	0	38	10	0	42	7	0	15	10	0
13	केरल	29	10	0	15	13	0	19	9	0	19	13	0
14	मध्य प्रदेश	37	34	0	39	36	0	19	17	0	21	21	0
15	महाराष्ट्र	39	18	1	32	21	1	27	22	1	33	29	1
16	मणिपुर	2	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0
17	मेघालय	4	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	2	2	0	2	2	0	24	6	0	8	8	0
21	पंजाब	15	2	0	21	7	0	12	1	0	8	1	0
22	राजस्थान	31	10	0	26	26	0	10	5	0	5	5	0
23	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	22	10	0	23	13	0	18	4	0	18	5	0
25	तेलंगाना	15	10	0	12	10	0	35	8	0	14	11	0
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	421	214	11	334	275	16	20	13	1	57	57	1
28	उत्तराखंड	3	2	0	5	5	0	3	2	0	4	4	0
29	पश्चिम बंगाल	80	9	0	20	5	0	8	2	0	7	2	0
	कुल (राज्य)	934	369	12	697	503	17	382	140	2	371	299	2
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
31	चंडीगढ़	1	1	0	0	1	0	2	2	0	1	3	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	12	1	0	2	1	0	17	1	0	4	1	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	14	3	0	3	3	0	19	4	0	5	5	0
	कुल (अखिल भारत)	948	372	12	700	506	17	401	144	2	376	304	2

स्रोत: भारत में अपराध   नोट: वर्ष 2017 से धारा 67 तथा 67क संबंधी आंकड़े अलग-अलग एकत्रित किए गए हैं।

वर्ष 2015-2017 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुकता दर्शाने वाले कृत्य में बच्चों को चित्रित करने सामग्री का प्रकाशन अथवा प्रसारण (आईटी अधिनियम की धारा 67ख) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) एवं दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015						2016						2017					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	8	1	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	3	2	0	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	कर्नाटक	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	केरल	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	5	5	0
15	महाराष्ट्र	1	0	0	1	0	0	3	1	0	4	1	0	1	1	0	4	4	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
22	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	3	0	2	1	0	1	1	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
25	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	1	1	0	3	3	0	5	3	0	5	4	0	16	5	0	9	6	0
28	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	8	5	2	7	6	2	16	6	1	14	9	1	43	12	0	35	18	0
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	8	5	2	7	6	2	17	6	1	15	9	1	46	12	0	35	18	0

स्रोत: भारत में अपराध

लो.स.अता.प्र.सं.302

अनुलग्नक-III

वर्ष 2015-2017 के दौरान आईपीसी/एसएलएल की अन्य धाराओं के साथ पठित लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 14 और 15 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचित मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीसीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) एवं दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015						2016						2017					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	11	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	2	0
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	5	0	27	7	0
5	छतीसगढ़	26	24	0	26	24	0	1	3	0	1	3	0	6	6	3	7	7	3
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	1	2	0	1	2	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0
8	हरियाणा	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	17	17	17	17	17	17	19	8	0	18	8	0	24	8	2	17	17	2
12	कर्नाटक	7	4	0	7	4	0	3	4	0	4	6	0	47	38	3	72	54	4
13	केरल	0	0	0	0	0	0	4	1	0	4	1	0	109	76	10	166	72	10
14	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	0	11	11	0
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	11	0	14	13	0
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	8	22	3	22	22	3
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	32	36	0	32	45	0
22	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	2	0	84	64	1	84	84	2
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	8	10	0	8	10	0	9	4	0	9	4	0	8	8	1	13	16	1
25	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	1	0
26	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	19	19	3	36	32	6	2	2	1	4	4	1	4	1	4	4	4	11
28	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	2	5	0	18	18	0	2	12	0	1	12	0
	कुल (राज्य)	94	82	20	102	95	23	47	33	2	65	51	2	374	303	27	485	374	36
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	94	82	20	107	95	23	47	33	2	65	51	2	374	303	27	485	374	36

स्रोत: भारत में अपराध